

नियम 9 : आवेदन का सत्यापन और अनुमोदन

- (1) आवेदन समुचित अधिकारी को भेजा जाएगा, जो आवेदन और संलग्न दस्तावेजों की परीक्षा करेगा और यदि वे ठीक क्रम में पाये जाते हैं तो आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से ¹[सात] कार्य दिवस की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने का अनुमोदन कर दिया जाएगा।

²[परन्तु जहां—

- (क) कोई व्यक्ति, जो कि धारा 25 का उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न हो, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या के सत्यापन से चूक जाता है या आधार संख्या के सत्यापन का विकल्प का चयन नहीं करता है; या

- ³[(कक) ऐसा व्यक्ति, जो कि नियम 8 के उपनियम 4(क) में निर्दिष्ट आधार संख्या के अधिप्रमाणन प्रक्रिया से गुजरा है, उसके कारबार के स्थानों का वास्तविक सत्यापन करने के लिए, आंकड़ा विश्लेषण और जोखिम मापदंडों के आधार पर, सामान्य पोर्टल पर पहचाना जाता है; या]

- (ख) समुचित अधिकारी, आयुक्त के द्वारा प्राधिकृत किसी ऐसे अधिकारी के अनुमोदन से जो कि सहायक आयुक्त से निम्न पद का न हो, कारोबार के स्थान का प्रत्यक्ष सत्यापन कराया जाना उचित समझता है तो,

नियम 25 के अधीन दी गई रीति से, ⁴[.....] कारोबार के स्थान का प्रत्यक्ष सत्यापन कराये जाने के पश्चात् तथा जैसा उचित अधिकारी उचित समझे ऐसे कागजातों का सत्यापन किए जाने के पश्चात्, आवेदन को प्रस्तुत किये जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा।

¹ अधिसूचना क्रमांक 94/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा “तीन” के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.12.2020)।

² अधिसूचना क्रमांक 94/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा परंतुक प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.12.2020)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

³A[परन्तु जहां कि कोई व्यक्ति, जो कि धारा 25 की उपधारा 6(घ) के अंतर्गत अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न हो, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथा विनिर्दिष्ट आधार संख्या का अधिप्रमाणन की प्रक्रिया में चूक जाता है या आधार संख्या के अधिप्रमाणन के विकल्प का चयन नहीं करता है, तो उसका रजिस्ट्रीकरण, उस व्यक्ति की उपस्थिति में, नियम 25 के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट रीति के अनुसार उसके कारबार के स्थान का प्रत्यक्ष सत्यापन किये जाने के बाद, किया जायेगा:

परन्तु यह और कि उचित अधिकारी, संबंधित कारणों को लिखित रूप से लेखब) करते हुए और ऐसे अधिकारी के अनुमोदन से जिसका पद की संयुक्त आयुक्त के पद से नीचे नहीं है, कारबार के स्थान का प्रत्यक्ष सत्यापन किये जाने के स्थान पर, ऐसे दस्तावेजों को सत्यापन कर सकता है जिसे वह ठीक समझे।]”

A अधिसूचना क्रमांक 62/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 20.08.2020 द्वारा परंतुक प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 21.08.2020)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

⁴B[परन्तु जहां धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्तियों से भिन्न कोई व्यक्ति, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथा—निर्दिष्ट आधार संख्या का अधिप्रमाणन कराने में असमर्थ रहता है वहां रजिस्ट्रीकरण, आवेदन की तारीख से साठ दिन के अपश्चात् उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में, नियम 25 में उपबंधित रीति में केवल कारबार के मूल स्थान का वास्तविक सत्यापन करने के पश्चात् ही दिया जाएगा और ऐसे मामलों में उपनियम (5) के उपबंध लागू नहीं होंगे।]”

B अधिसूचना क्रमांक 16/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2020 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2020)।

³ अधिसूचना क्रमांक 26/2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा खंड (कक) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 26.12.2022)।

⁴ अधिसूचना क्रमांक 38/2023—केन्द्रीय कर, दिनांक 04.08.2023 द्वारा शब्द “उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में” विलोपित (प्रभावशील दिनांक 04.08.2023)।

- (2) जहां नियम 8 के अधीन दिए गए आवेदन में या तो उक्त नियम के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित किसी सूचना या किसी दस्तावेज के रूप में कमी पाई जाती है या जहां समुचित अधिकारी उसके साथ दिए गए आवेदन या दस्तावेजों में दी गई किसी सूचना की बाबत किसी स्पष्टीकरण की अपेक्षा करता है, वहां वह आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से ⁵[सात] कार्य दिवस की अवधि के भीतर **प्ररूप जीएसटी आरईजी-03** में, इलैक्ट्रानिक रूप से, नोटिस जारी कर सकेगा और आवेदक, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर **प्ररूप जीएसटी आरईजी-04** में, इलैक्ट्रानिक रूप से, ऐसा स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेज देगा।

⁶[परंतु जहां—

- (क) कोई व्यक्ति, जो कि धारा 25 का उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न हो, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या के सत्यापन से चूक जाता है या आधार संख्या के सत्यापन का विकल्प का चयन नहीं करता है; या

⁷[(कक) ऐसा व्यक्ति, जो कि नियम 8 के उपनियम 4(क) में निर्दिष्ट आधार संख्या के अधिप्रमाणन प्रक्रिया से गुजरा है, उसके कारबार के स्थानों का वास्तविक सत्यापन करने के लिए, आंकड़ा विश्लेषण और जोखिम मापदंडों के आधार पर, सामान्य पोर्टल पर पहचाना जाता है; या]

- (ख) समुचित अधिकारी, आयुक्त के द्वारा प्राधिकृत किसी ऐसे अधिकारी के अनुमोदन से जो कि सहायक आयुक्त से निम्न का पद न हो, कारोबार के स्थान का प्रत्यक्ष सत्यापन कराया जाना उचित समझता है तो,

ऐसे आवेदन के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से अधिकतम तीस दिनों के भीतर **प्ररूप जीएसटी आरईजी-03** में नोटिस जारी किया जा सकेगा।]

स्पष्टीकरण - इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, "स्पष्टीकरण" पद के अंतर्गत प्ररूप **जीएसटी आरईजी-01** के भाग क में घोषित स्थायी लेखा संख्यांक, राज्य मोबाइल नम्बर और ई-मेल पते से भिन्न रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में घोषित विशिष्टियों में उपांतरण या सुधार भी है।

- (3) जहां समुचित अधिकारी का आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों से समाधान हो जाता है, वहां वह ऐसे स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने का अनुमोदन कर सकेगा।
- (4) जहां उपधारा (2) के अधीन जारी नोटिस के प्रत्युत्तर में आवेदक द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता है या जहां समुचित अधिकारी दिए गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों से संतुष्ट

⁵ अधिसूचना क्रमांक 94/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा "तीन" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.12.2020)।

⁶ अधिसूचना क्रमांक 94/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा परंतुक प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.12.2020)। अधिसूचना क्रमांक 62/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 20.08.2020 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 21.08.2020)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था:

"परंतु यह और कि जहां कोई व्यक्ति, जो कि धारा 25 की उपधारा 6(घ) के अंतर्गत अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न हो, नियम 8 के उपनियम 4(क) में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या का अभिप्रमाणन की प्रक्रिया में चुक जाता है या आधार संख्या के अभिप्रमाणन के विकल्प को चयन नहीं करता है तो, **प्ररूप जीएसटी आरईजी-03** में नोटिस, ऐसे आवेदन को प्रस्तुत किए जाने की तारीख से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर जारी किया जा सकेगा।"

⁷ अधिसूचना क्रमांक 26/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा खंड (कक) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 26.12.2022)।

- नहीं है, वहां वह लेखब) किए जाने वाले कारणों से ऐसे आवेदन को नामंजूर कर ⁸[सकेगा] और आवेदक को प्ररूप जीएसटी आरईजी-05 में इलेक्ट्रानिक रूप से सूचित ^{*}[कर सकेगा]।
- ⁹(5) यदि समुचित अधिकारी कोई कार्यवाही करने से चूक जाता है,
- (क) आवेदन को प्रस्तुत किये जाने की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर उस मामले में जहां कि ऐसे व्यक्ति उपनियम (1) के परंतुक के अंतर्गत नहीं आता है तो; या
- (ख) आवेदन को प्रस्तुत किये जाने की तारीख से तीन दिनों की अवधि के भीतर जहां ऐसा व्यक्ति उपनियम (1) के परंतुक के अंतर्गत आता हो तो; या
- (ग) उपनियम (2) के अंतर्गत आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किये गए स्पष्टीकरण, जानकारी या दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस के अवधि के भीतर तो,
- रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के आवेदन को अनुमोदित हुआ समझा जाएगा।]

⁸ अधिसूचना क्रमांक 62/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 20.08.2020 द्वारा "देगा" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 21.08.2020)।

^{*} अधिसूचना क्रमांक 62/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 20.08.2020 द्वारा "करेगा" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 21.08.2020)।

⁹ अधिसूचना क्रमांक 94/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा उपनियम (5) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.12.2020)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"^A(5) यदि उचित अधिकारी कोई भी कार्यवाही करने में चूक जाता है-

(क) ऐसे मामले में जिसमें कि किसी व्यक्ति की आधार संख्या का अभिप्रमाणन सफलता पूर्वक हो जाता है या वह धारा 25 की उपधारा 6(घ) के अधिसूचित है आवेदन के प्रस्तुत किये जाने की तारीख से तीन कार्य-दिवस के भीतर(या

(ख) ऐसे मामले में जिसमें कि कोई व्यक्ति, जो कि धारा 25 की उपधारा 6(घ) के अंतर्गत अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न है, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथा विनिर्दिष्ट आधार संख्या का अभिप्रमाणन की प्रक्रिया में चूक जाता है, तो उपनियम (2) के परंतुक के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर(या

(ग) ऐसे मामले में जिसमें कि ऐसे व्यक्ति ने आधार संख्या के अभिप्रमाणन के विकल्प का चयन नहीं किया है, आवेदन को प्रस्तुत किये जाने की तारीख से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर(या

(घ) उपनियम (2) के अंतर्गत, आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस के भीतर,

तो रजिस्ट्रीकरण के लिए किये गये आवेदन के बारे में वह माना जायेगा कि उसे अनुमोदित कर दिया गया है।

A. अधिसूचना क्रमांक 62/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 20.08.2020 द्वारा उपनियम (5) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 21.08.2020)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"(5) यदि समुचित अधिकारी,-

(क) आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर(या

(ख) उपनियम (2) के अधीन आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति की

तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर,

कोई कार्यवाई करने में असफल रहता है तो रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के आवेदन को अनुमोदित हुआ समझा जाएगा।"